कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :— 923

दिनांक :— 27/01/25

सेवा में,

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :— जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ)

विषय :— नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 09.01.2025 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि इस निकाय में दिनांक 09.01.2025 को पालिका पत्रांक 873 दिनांक 04.01.2025 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत की गयी थी **(संलग्नक आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।**

उक्त एजेण्डा प्रस्ताव के एजेण्डा बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5 व 6 में प्रस्ताव संख्या 5 में केवल नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के गजट प्रकाशन को रोकते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कर उक्त प्रस्ताव में डेयरी संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अनुमोदन व प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

तदानुसार बोर्ड द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर—7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ को उपरोक्त बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं के पारित संकल्प में एजेण्डा बिन्दु संख्या 5 पर नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के गजट प्रकाशन को रोकते हुए बोर्ड द्वारा किये गये प्रस्ताव की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चस्पा व पालिका की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

आज दिनांक 09.01.2025 को प्रातः 12.00 बजे नगर पालिका परिषद सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्षा नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही--

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
	श्री अतुल प्रधान जी	मा0 विधायक/पदेन सदस्य
1	श्रीमती अंजली	सदस्य,
2	श्री वीर सिंह	सदस्य,
3	श्री मुकेश	सदस्य,
4	श्रीमती तनिका जैन	सदस्य,
5	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
6	श्री संजय कुमार	सदस्य,
7	श्री शानू जैन	सदस्य,
8	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली	सदस्य,
9	श्री राहुल	सदस्य,
10	श्री शकील	सदस्य,
11	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
12	श्री शहजाद	सदस्य,
13	श्री शाहिद	सदस्य,
14	श्रीमती शमीना	सदस्य,
15	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
16	श्रीमती राहत परवीन	सदस्य,
17	श्री फरमान	सदस्य,
18	श्री सलीम	सदस्य,
19	श्री मन्नान	सदस्य,
20	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
21	श्री तारिक हसन	सदस्य,
22	श्री इमरान	सदस्य,

<u>प्रस्ताव संख्या 1 :–</u> गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक की पुष्टि हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से गत बैठक की पुष्टि की गयी ।
<u>प्रस्ताव संख्या 2 :–</u> गणतंत्र दिवस 2025 हर्षोल्लास से मनाये जाने हेतु पालिका कार्यालय में कार्यक्रम कराये जाने व अन्य व्यवस्था कराये जाने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गत वर्षो की भॉति पालिका कार्यालय भवन, शहीद द्वार, बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वार व पार्क व वीर अब्दुल हमीद पार्क आदि पालिका भवनों पर विधुत साज–सज्जा कराते हुए गणतंत्र दिवस पर पालिका कार्यालय में आगुन्तको को बैठाने के लिए पर्याप्त कुर्सीयां मेज व लाउडस्पीकर व सूक्षम जलपान व मिष्ठान वितरण कराये जाये, उक्त पर्व के लिए श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली द्वारा 26 जनवरी पर्व से पूर्व नगर के विधुत पोलो को तिरंगा पैंट करवाने व शहीद द्वारा से अशोक स्तम्भ तक तिरंगा पेंट पोल पर करवाते हुए डिवाईडर पर जाली लगाकर उस पर तिरंगा पेंट कराये जाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया

Scanned with CamScanner

	गया कि अशोक की लाट का जो कार्य पालिका द्वारा कराया गया है उसमें अशोक का प्रतीक स्मारक आगणन में शामिलित न होने के कारण उक्त कार्य नही हुआ है,जिस पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य पालिका द्वारा शीघ्र अति शीघ्र कराने हेतु पालिका अवर अभियंता से आगणन बनाते हुए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये व श्रीमती नेहा जैन सदस्य के उक्त प्रस्ताव अनुसार भी गणतंत्र पर्व से पूर्व यथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये,उक्तानुसार सर्व सम्मति से कार्यवाही के लिए से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 3 :– उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 संख्या-912/नौ-9-24-85ज0/05टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार पालिका द्वारा निर्धारित मूल्यांकन किराये पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 संख्या 912/नौ-9-24-85ज0/05टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 के विषय में स्वःकर के लिए पालिका पत्रांक 798 दिनांक 09.12.2024 द्वारा की निर्धारित मासिक किराये दर से सदन को अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा उक्त नियमावली अनुसार स्वःकर निर्धारण अनुसार गृहकर, जलकर आदि कर इस निकाय द्वारा सरधना की आम जनता पर अधिरोपण न की जाये, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त नियमावली राज्य सरकार द्वारा निर्गत करते हुए निकायों को निमयावली में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है, निर्देशों के कम में उक्त स्वःकर नियमावली के अनुसार कार्यवाही प्रचलित करते हुए मासिक किराये दर निर्धारित कर 02 समाचार पत्रों के माध्यम से जनता से आपत्ति मॉगी गयी है, नियमावली शासन द्वारा लागू कर दिये जाने के कारण प्रचलित कार्यवाही रोकी नही जा सकती है। सदन में स्वःकर प्रणाली के संबंध में श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली सदस्य द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि सरधना की जनता स्वःकर को सहन नहीं कर पायेगी, अभी नगर पालिका के करोड़ों रू0 जनता पर बाकी है। स्वःकर प्रणाली को आगामी तीन वर्षो तक स्थगित कर वर्तमान में पंचवर्षीय कर प्रणाली अनुसार ही लागू रहने दिया जाये। सदन में उक्त पर चर्चा उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से स्वःकर प्रणाली की निमयावली अनुसार इस निकाय में कोई कार्यवाही प्रचलित न की जाये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 4 :– अशोक की लाट के समीप पालिका की फड़ भूमि आवंटन फड़ो पर पक्की दुकान बनाकर वर्तमान किराया निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दुकानें निर्मित कर उनके आवंटन पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में उक्त पर चर्चा के दौरान पालिका के लिपिक श्री मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि अशोक की लाट पर कुछ फड़धारको द्वारा मान्नीय न्यायालय मेरठ से वर्तमान में स्थगन आदेश लिया गया है,जिस कारण उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा वर्तमान में उक्त पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित न की जाये साथ ही साथ सदन में चर्चा के दौरान मेरठ न्यायालय में ऐसे पालिका अधिवक्ता जो पालिका के पक्ष को मान्नीय न्यायालय में ठोस रूप से

Scanned with CamScanner

	प्रस्तुत न करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने में विफल होने फलस्वरूप ही वादी को पालिका के विरूद्व माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होते है ऐसे अधिवक्ता को तुरंत पालिका के पैनल से हटाते हुए मेरठ में किसी वरिष्ठ व योग्य अधिवक्ता को उसकी योग्यता के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 5 :– नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के गजट प्रकाशन पर विचार के साथ–साथ पशु डेयरी संचालकों द्वारा नाला/नालियों में गोबर बहाये जाने से सफाई की समस्या के निस्तारण हेतु डेयरी संचालकों के विरूद्व पूर्व में जुर्माना आदि की गयी का अनुमोदन व वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संबंधितों के विरूद्व यथा आवश्यक जुर्माना व अन्य कार्ययोजना बना कर कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के गजट प्रकाशन पर चर्चा हुई चर्चा के दौरान सर्व सम्मति से उक्त गजट पर वर्तमान में प्रकाशन हेतु कोई कार्यवाही न की जाये, इस हेतु आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्ताव रखने हेतु सदन द्वारा निर्णय लिया गया, सदन में डेयरी संचालको के विरूद्व पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारीयों द्वारा पूर्व में डेयरीयों से निकलने वाले गोबर को पालिका द्वारा अपने संसाधनों से कलेक्शन करने के लिए 05 रूपये प्रति पशु, प्रति दिन के आधार पर निर्धारित किये गये शुल्क से व निर्धारित शुल्क अनुसार धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित मॉग नोटिस व डेयरी संचालको द्वारा प्रेषित मॉग नोटिसों के सापेक्ष कोई धनराशि जमा न कराने व अधिकांश डेयरी संचालको द्वारा डेयरीयों से निकलने वाले गोबर का कलेक्शन करने में पालिका का सहयोग न करने से सदन को अवगत कराया गया, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत डेयरी से निकलने वाले गोबर नाला/नालियो में भरा होने के कारण उसकी बार–बार सफाई के बाद भी पालिका द्वारा नगर में नियमित की जा रही साफ–सफाई बाधित होने व डेयरी संचालको की ऐसी मनमानी के कारण नगर में नाला/नालियो में सफाई के बाद भी गोबर भर जाने के कारण तत्कालीन अधिशासी अधिकारियो द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माना आदि की धनराशि संबंधित से वसूली करने का निर्णय लेते हुए डेयरी से निकलने वाले गोबर के कलेक्शन हेतु पूर्व में निर्धारित 05 रू0 प्रति पशु प्रति दिन के आधार पर गोबर कलेक्शन चार्ज की निर्धारित शुल्क का अनुमोदन करते हुए उक्तानुसार प्रेषित मॉग नोटिसों के सापेक्ष प्रभावी वसूली करने हेतु पालिका के अधिकारियो को अधिकृत किया गया तथा साथ ही साथ सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि डेयरी संचालकों पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित 05 रूपये प्रति पशु प्रति दिन शुल्क के आधार पर चार्ज लेते हुए गोबर को डेयरीयों से एकत्र कर लिया जाये व उनका गोबर एकत्र कर उसका जैविक निस्तारण किया जाये तथा पूर्व में प्रेषित मॉग नोटिसों के सापेक्ष संबंधित डेयरी संचालको द्वारा यदि धनराशि जमा नही करायी जा रही है तो उसकी नियमानुसार वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

Shahika

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 6 :– अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
प्रस्ताव संख्या 6 (1) :– मेला बूढ़ा बाबू 2024 में रागिनी कार्यक्रम के लम्बित भुगतान पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री संजय कुमार,सदस्य द्वारा मेला बूढ़ा बाबू 2024 में रागिनी कार्यक्रम के लम्बित भुगतान हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से मेला बूढ़ा बाबू 2024 में हुए रागिनी कार्यक्रम का भुगतान कार्यक्रम समिति द्वारा अपने निजी स्रोतों से कार्यक्रम कराने वाली संस्था को करने के कारण उक्त भुगतान हेतु शीघ्र अति शीघ्र करने हेतु कहा गया, जिस पर सदन में अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रागिनी कार्यक्रम हेतु पालिका पत्रांक 482 दिनांक 24.09.2024 को उप जिलाधिकारी महोदय सरधना से रागिनी कार्यक्रम में कोई अश्लील नृत्य आदि जांच प्रचलित है अथवा जांच पूर्ण हो चुकी है के संबंध में जांच आख्या मांगी गयी थी,जिस कम में दिनांक 07.10.2024 को जांच आख्या प्राप्त हुई है को पढ़कर सुनाया गया जिसमें उल्लिखित है कि "रामलीला मैदान में दिनांक 10.07.2024 को रागिनी कार्यक्रम के दौरान रामलीला मंच पर अमर्यादित नृत्य की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जांच की गयी, जांच में विदित हुआ कि उक्त नृत्य परम्परागत रागिनी कार्यक्रम से भिन्न सार्वजनिक मंच पर आयोजित किया गया। उक्त नृत्य अमर्यादित आचरण का था। रागिनी कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष श्री संजय सोनी थे, जिनके सहयोगी श्री वीरसिंह भाटी, श्री शहजाद सितारा, श्री शानू जैन, श्री इमरान ठाकुर, डा0 निर्दोष कुमार, श्री युसूफ अंसारी व श्री विष्णु प्रजापति थे, उक्त लोगों की उपस्थिति में अमर्यादित नृत्य हुआ था, जिसकी रिपोर्ट माननीय को पूर्व में दिनांक 12.07.2024 में भेजी जा चुकी है, वर्तमान में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक जांच विचाराधीन है या नहीं इस संबंध में अन्य जानकारी थानाध्यक्ष सरधना कार्यालय से कार्यवाही अपेक्षित है"। उक्त जांच के कम में अधिशास अधिकारी द्वारा रागिनी कार्यक्रम के भुगतान हेतु असमर्थता व्यक्त की गयी, जिस पर सदन में उपस्थित मा0 विधायक जी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की गयी। उच्चाधिकारियों से वार्ता उपरान्त सदन में उपस्थित मा0 विधायक जी द्वारा सदन को वार्ता के कम से अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उच्चाधिकारियों से संबंधित प्रकरण में मार्ग–दर्शन प्राप्त करते हुए, तत्समय प्राप्त मार्ग–दर्शन के कम में रागिनी कार्यक्रम के लम्बित भुगतान हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 6 (2) :– नगर की सीमा क्षेत्र से लगी आबादीयों में विकास कार्य कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री वीरसिंह सदस्य द्वारा मौहल्ला मंडी चमारान में लगी आबादी में स्थानीय समस्याओं जैसे साफ–सफाई, सड़क निर्माण व जलनिकासी हेतु नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन में मा0 विधायक जी द्वारा नगर क्षेत्र की सीमाओं से सटी आबादियों में विकास कार्य पालिका द्वारा कराये जाने में आ रही बाधाओं की जानकारी प्राप्त की

Shalini

Scanned with CamScanner

	गयी, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में नगर सीमा क्षेत्र से लगी कुछ आबादियों में बोर्ड प्रस्ताव के कम में तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा विकास कार्य व पेयजल पाईप लाईन बिछायी गयी है, जिसकी स्थानीय स्तर से सरधना के पूर्व सदस्यों द्वारा शिकायत की गयी थी, जिस जांच के कम में तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों पर सीमा क्षेत्र से लगी आबादियों में कार्य कराने पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध रिकवरी हेतु कार्यवाही की गयी है, जिस पर तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा मा0 न्यायालयों में वाद योजित किया गया है, जिसमें स्थगनादेश होने पर कार्यवाही विचाराधीन है, पालिका सीमाओं का स्पष्ट रूप से चिन्हांकन न होने के कारण वर्तमान में सीमा क्षेत्र से लगी आबादी में विकास कार्य कराने पर असमर्थता व्यक्त की गयी। नगर सीमा क्षेत्र में मौहल्ला मंडी चमारान की सीमा का चिन्हांकन करने हेतु उप जिलाधिकारी महोदय सरधना को पत्र लिखा गया है। पत्र के कम में मौहल्ला मंडी चमारान की पालिका सीमा चिन्हिंत होने उपरान्त ही यदि सदस्य द्वारा बतायी गयी आबादी पालिका सीमान्तर्गत आती है, तो ही उस पर विकास कार्य कराया जाना सम्भव होगा, जिस पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर की सीमा क्षेत्रों का चिन्हांकन कराते हुए विकसित आबादी यदि सीमा क्षेत्र में आती है, तो ऐसी विकसित आबादी में विकास कार्य धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अविलम्ब कराने की कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 6 (3) :–</u> मौ0 भुलरिया में पालिका द्वारा आवंटित की गयी दुकानों का पजेशन दिये जाने की कार्यवाही व अवशेष दुकानो के आवंटन पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में मन्नान सदस्य द्वारा मौहल्ला भूलरिया में स्थित दुकानो के आवंटन के बाद पजेशन देने व दुकाना का अधूरा काम पूर्ण कराने व अवशेष दुकानो के आवंटन हेतु दिये गये प्रस्ताव को सदन के समक्ष पढकर सुनाया गया, सदन में चर्चा उपरांत मौहल्ला भुलरिया में पालिका द्वारा निर्मित व अधूरी निर्मित दुकानों की नीलामी की कार्यवाही की गयी थी, जिसमें कुछ दुकानदारों द्वारा अधूरी निर्मित दुकानों का निर्माण पूर्ण कराकर दुकानों का पजेशन व अन्य पूर्ण निर्मित दुकानों का पजेशन मांगा जा रहा है तथा पालिका द्वारा अवशेष दुकानों के आवंटन हेतु कार्यवाही किये जाने पर जनता द्वारा दुकानों के आवंटन में कोई रूचि न लेने से दुकानें आवंटित नही हो पा रही है। इसका मुख्य कारण उक्त स्थल पर पालिका द्वारा मूलभूत सुविधाएं व अधूरी निर्मित दुकानों को पूर्ण न होना मानते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल पर पालिका द्वारा मूलभूत सुविधाएं व अधूरी निर्मित दुकानों के निर्माण हेतु पालिका अवर अभियंता से आंगणन बनवा कर शीघ्र अति शीघ्र अधूरी निर्मित दुकानों को पूर्ण कराया जाये व उक्त स्थल पर पालिका द्वारा आवंटित दुकानों में स्थानीय दुकानदारों व आगुन्तकों को मूलभूत सुविधायें जैसे पथप्रकाश, सी0सी0टी0वी0 कैमरा पार्किंग आदि की सुविधायें देते हुए

Shahila

Scanned with CamScanner

	निर्मित दुकानों का पजेशन दिया जाये तथा आवंटित की गयी अधूरी दुकानों के पूर्ण होने उपरान्त संबंधितों को उक्त का पजेशन दिया जाये, जिस पर सदन को अवगत कराया गया कि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के किराया प्रीमीयम आदि की अंकन 45 लाख रू0 उक्त खाते में उपलब्ध है, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशि व राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि/दुकान आवंटन निधि में उपलब्ध धनराशि से अधूरी पडी दुकानो का पूर्ण निर्माण कराने हेतु शीघ्र अति शीघ्र पालिका अवर अभियंता से आगंणन तैयार कराते हुए कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये तथा उक्त स्थल पर अवशेष दुकानों की नीलामी की कार्यवाही भी शीघ्र अति शीघ्र की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 6 (4) :–</u> नगर में हैवी ट्रेफिक वाहनों के आवागमन से जाम की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हाईटगेज लगवाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में नगर सीमा क्षेत्रों से टोल बचाने हेतु भारी वाहन नगर की सीमाओं में प्रवेश लेते हुए नगर की मुख्य सड़कों से निकलते है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है तथा ट्रेफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके निदान हेतु चर्चा के दौरान सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर सीमा क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने हेतु हाईटगेज लगवाये जाये। सदन में श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली सदस्य द्वारा प्रस्ताव दिया कि माल गाडी टोल टैक्स बचाने के लिए सरधना से होकर गुजर रही है यदि नगर पालिका परिषद इन गाडियों से पडाव शुल्क लगाये तो जाम से भी कुछ छुटकारा मिल सकता है तथा नगर पालिका को भी अच्छी आमदनी हो सकती है तथा ई–रिक्शा के कारण भी नगर में जाम रहता है, इसलिए इस रिक्शा का एक स्टैण्ड बनाकर नगर के अनुसार ई–रिक्शा चयनित कर इन पर शुल्क लगवाया जाये, जिस पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठेका वाहन अडडा पडाव शुल्क में पूर्व में विवाद होने के कारण पूर्व से ही यह ठेका वाहन अड़डा पडाव शुल्क की उपविधि पास होने के बाद भी पालिका बोर्ड द्वारा पूर्व में रोका जा चुका है। वर्तमान में ऐसे ठेके से आये दिन झगडा फसाद आदि की सम्भावना रहेगी तथा नगर का माहोल खराब होगा जिस कारण वाहन अडडा पडाव शुल्क का ठेका न छोडकर मुख्य मार्गों पर हाईटगेज लगवाकर ऐसे वाहनों का प्रवेश बन्द किया जाये तथा ई–रिक्शा के संबंध में आवश्यकतानुसार भूमि का चयन कर एक स्टैण्ड बनाकर ई–रिक्शा पर शुल्क लगाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 6 (5) :–</u> आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की आपूर्ति पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री शहजाद व अन्य सदस्यगणों द्वारा आउटसोर्सिंग ठेके के संबंध में दिये गये प्रस्ताव जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि आउटसोर्सिंग ठेके में शौचालय के कर्मचारी व पम्प आपरेटर व चौकीदार और

Shahid

Scanned with CamScanner

	न ही केयर टेकर और न ही माली और न ही पथ प्रकाश हेतु अलग से कर्मचारी निर्धारित कर ठेका न छोडकर सफाई हेतु ठेका छोडा जाता है, जिस पर सदन को अवगत कराया गयो कि वर्तमान में पालिका द्वारा 221 पदो का आउटसोर्सिंग में प्रोविजन कर ठेका छोडा गया है, जिसकी समयावधि 31 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाली है, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत वर्तमान में नगर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 80,000 को दृष्टिगत रखते हुए हैल्थ मैन्युल के अनुसार वर्तमान में 224 सफाई कर्मचारियो की नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रहे के कारण आवश्यकता है। उक्त आवश्यकता अनुसार पालिका में नियमित/संविदा सफाई के कार्यरत कर्मचारी संख्या 70 को घटाते हुए 154 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाये तथा उक्त कर्मचारियों के कार्यों का सुपरविजन हेतु 4 सफाई सुपरवाईजर आउटसोर्सिंग पर रखे जायें तथा नगर में पालिका द्वारा निर्मित किये गये शौचालयों के सुगमतापूर्वक सुचारूता के लिए बनाये गये शौचालयों पर पृथक-पृथक केयर टेकर व नालों की सफाई हेतु कम से कम 10 सफाई कर्मचारी व पालिका में हल्के भारी वाहनों को चलाने हेतु प्रत्येक वाहन के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति ली जाये। इसी प्रकार पालिका लिपिकीय पटलों पर व पालिका करों की वसूली हेतु, लाईब्रेरी के संचालन हेतु तथा पार्कों के रख-रखाव हेतु तथा टयूबवैल व समरसेबिल पर केयर टेकर व चौकीदार, कार्यालय सहायक इस प्रकार वर्तमान में नियुक्त कर्मीयों से पालिका कार्यों की सुचारूता हेतु उपरोक्त प्रत्येक पद में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति ली जाये तथा आउटसोर्सिंग के ठेके में स्पष्ट रूप से भविष्य में मेला आदि या अन्य किसी कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों अथवा पालिका कार्यालय में अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो आउटसोर्सिंग ठेके की शर्तों में आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की संख्या घटायी अथवा बढायी जा सकती है का प्रोविजन कर ठेके की कार्यवाही की जाये तथा उक्त ठेका की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व में आउटसोर्सिंग एजेन्सी से ठेके की अवधि समाप्त होने उपरांत भी नया आउटसोर्सिंग ठेका स्वीकृत होने की अवधि तक आउटसोर्सिंग एजेन्सी से कर्मचारियो की आपूर्ति लेने हेतु पूर्व गठित अनुबंध की अवधि का समय विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 6 (6) :-</u> अति आवश्यक निर्माण कार्य व अन्य कार्य कराये जाने पर उक्त के अनुमोदन पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष अति आवश्यक को दृष्टिगत रखते हुए नगर में निम्न निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसको सदन के समक्ष निम्नानुसार अनुमोदन हेतु कार्यों को रखा गया।

1	नगर पालिका परिषद सरधना के विभिन्न स्थानों पर नाली व पेंच मरम्मत एंव चैनल का निर्माण कार्य।	14,92,623

Shalikn.

2	वार्ड 3 दौराला रोड पर मकबरा वाली मस्जिद के पास मैन पी0डब्लू0डी0 दौराला रोड पर पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य।	10,32,183
3	पालिका अभिलेखागार मे अभिलेखों को रखने हेतु एस0एस0 फर्नीचर आदि का कार्य	12,50,000
4	नगर पालिका परिषद सरधना मे टायलेट मरम्मत का कार्य।	7,02,180

सदन में चर्चा उपरान्त उक्त कार्यों के आंगणनों के सापेक्ष आमंत्रित निविदाओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया सदन को एन0जी0टी0 के अन्तर्गत नगर से निकलने वाले नालों को फाईटो व बायोरेमिडिएशन कराने हेतु कुटेशन के आधार पर उक्त में उक्तानुसार कराये गये कार्य में प्रस्तुत बिलों के भुगतान की धनराशि से अवगत कराते हुए उक्त का अनुमोदन चाहा गया, जिस पर सदन द्वारा फाईटो व बायोरेमिडिएशन में व्यय धनराशि अंकन 49,560 रू0 व पानी को फाईटो रेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य हेतु Die Item(Concentrated), Nano Silica Nutrients सामग्री आपूर्ति हेतु अंकन 98,871 रू0 की कार्यवाही को पढ़कर सुनाते हुए अनुमोदन चाहा गया, जिसका अनुमोदन भी बोर्ड द्वारा सहर्ष स्वीकृत करते हुए उपरोक्तानुसार कार्य गये निर्माण कार्य व अन्य कार्यो का भुगतान करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया,उक्त के अतिरिक्त पालिका परिसर में अध्यक्ष भवन के अधूरे पडे निर्माण को पूर्ण करने हेतु भी आवश्यकतानुसार पूर्व निविदा के बार अवशेष रहे कार्य को पूर्ण करने के लिए पालिका अवर अभियंता से आगंणन तैयार कराकर उक्त भवन का पूर्ण निर्माण शीध्र अति शीध्र कराने का निर्णय लिया गया, उक्तानुसार निविदा आमंत्रण करने व किये गये कार्य को बिल भुगतान करने के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या 6 (7) :–</u> विकास कार्यो हेतु अल्प अवधि निर्धारित कर निविदा आमंत्रण करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन को अवगत कराया गया कि नगर में विकास कार्य कराने हेतु शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 दिनांक 30.06.2021 में मानक संचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) निर्धारित है, जिसमें निर्माण कार्यो को कराने हेतु सामान्य दशा में 40 लाख से कम कार्यों की निविदा अवधि 21 दिन होगी तथा 40 लाख से अधिक के कार्यों की निविदा हेतु अवधि में एक माह का समय रखा जायेगा। यदि अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त अवधि को कम करना है तो वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशानुसार तद् विषययक बोर्ड से अनुमति का उल्लेख है। जिस पर सदन में चर्चा हुई सदन द्वारा वर्तमान में विकास कार्यो की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में व भविष्य में आमन्त्रित की जाने वाली निर्माण कार्य व अन्य कार्यो को कराने हेतु एस0ओ0पी0 में निर्धारित निविदा समयावधि के स्थान पर 7 दिन की निविदा अवधि निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही अविलम्ब करते हुए निविदा आमंत्रण करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

Shalil...

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 6 (8) :— शरद ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कम्बल वितरण करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष शरद ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कम्बल वितरण पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यूनतम आधार पर एक लाख रू0 की धनराशि की सीमा के अन्दर–अन्दर आवश्यकतानुसार कम्बल आपूर्ति करते हुए नगर के गरीब व असहाय लोगों के कम्बल वितरण कर दिय जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 6 (9) :— श्री रामलीला कमेटी पर पालिका द्वारा अधिरोपित ग्रहकर, जलकर को एक्जम्प्ट करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली सदस्य का श्री रामलीला कमेटी की मैदान व दुकानों इत्यादि भू–सम्पत्तियों पर नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा वर्ष 2019 से 2024 तक के गृहकर व जलकर की मांग को पूर्व की भांति समायोजित कर नगर पालिका द्वारा श्री रामलीला कमेटी सरधना को नो–डयूज प्रमाण पत्र जारी करते हुए वर्ष 2019 से 2024 तक लगाये गये मेले की बावंत रख–रखाव राशि की धनराशि को भी अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव रखा। जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेले बूढा बाबू में रामलीला ग्राउण्ड का पालिका द्वारा ठेका छोड़ने के कारण गत वर्षो की भांति रामलीला कमेटी की दुकानों इत्यादि पर आरोपित ग्रहकर व जलकर को एक्जम्प्ट करते हुए श्री रामलीला कमेटी का होल मेला बूढा बाबू में पालिका द्वारा मेला अवधि में प्रयोग करने के कारण उसका रख–रखाव शुल्क अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा अपने विवेक से निर्धारित करते हुए मेला अवधि में श्री रामलीला कमेटी के भवन प्रयोग का शुल्क श्री रामलीला कमेटी को भुगतान कर दिया जाये। उक्तानुसार समस्त कार्यवाही कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 6 (10) :— वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये विकासात्मक कार्यों को सदन के समक्ष रखा गया, जिनमें श्रीमती श्रीमति कविता, सदस्य जोकि उक्त बैठक में उपस्थित नही है, उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय को बैठक से पूर्व दस्ती दिये गये प्रस्तावों से सदन को अवगत कराया गया। 1–पालिका द्वारा पूर्व में किराये पर आवंटित दुकानों पर अधिकांश ये देखा गया है कि उक्त दुकानों पर वास्तविक किरायेदार का व्यवसाय न चलने, मृत्यु हो जाने, या कही बाहर अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो जाने आदि के कारण वास्तविक/मूल किरायेदार किसी अन्य को पालिका से अधिक किराये पर देता है, जिस कारण से शिकमी किरायेदार द्वारा दुकान का किराया वास्तविक व मूल किरायेदार को देता है और वह वास्तविक किरायेदार अन्य से कई गुना किराया वसूल करके, उसी में से थोड़ा किराया पालिका में जमा कराया जाता रहा है। अतः ऐसी स्थिति में पालिका द्वारा जो भी दुकानें जैसे मौहल्ला भुलरिया आदि में आवंटित की जाये, उनकी शर्तों में पालिका की आय को

Shahila

17

दृष्टिगत रखते हुए प्रीमीमय धनराशि 10 प्रतिशत बढ़ाकर नामान्तरण का प्रावधान अंकित किया जाये।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक में शिकमी किरायेदारी का नाम पालिका अभिलेखों में किराये में वृद्धि करते हुए किरायेदारी के नाम पर अंकित करने का प्रस्ताव स्वीकृत है वर्तमान में उक्त पर चर्चा करते पूर्व प्रस्ताव का समर्थन कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया हुआ है, ऐसे किरायेदारो की दुकानों को चिंहित करते हुए पालिका की आय बढ़ाने हेतु पूर्व प्रीमीयम धनराशि में 20 प्रतिशत वृद्धि कर संबंधित शिकमी किराये दार से प्रीमीयम वृद्धि की धनराशि जमा कराकर वर्तमान में प्रचलित किराये का निर्धारण करते हुए दुकान पर काबिज शिकमी किराये दार से पालिका की पूर्व शर्तों में यदि ऐसा प्रोविजन नही है तो उसका प्रोविजन कर दुकान में नाम किरायेदारी के रूप में नामान्तरण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

उक्त प्रस्तावो के क्रम में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक में शिकमी किरायेदारी का नाम पालिका अभिलेखों में किराये में वृद्धि करते हुए किरायेदारी के नाम पर अंकित करने का प्रस्ताव स्वीकृत है वर्तमान में उक्त पर चर्चा करते हुए पूर्व प्रस्ताव का समर्थन कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया हुआ है, ऐसे किरायेदारो की दुकानों को चिंहित करते हुए पालिका की आय बढाने हेतु पूर्व प्रीमीयम धनराशि में 20 प्रतिशत वृद्धि कर संबंधित शिकमी किरायेदार से प्रीमीयम वृद्धि की धनराशि जमा कराकर वर्तमान मेंं प्रचलित किराये का निर्धारण करते हुए दुकान पर काबिज शिकमी किराये दार से पालिका की पूर्व शर्तो में यदि ऐसा प्रोविजन नही है तो उसका प्रोविजन कर दुकान में नाम किरायेदारी के रूप में नामान्तरण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

श्रीमती कविता सदस्य द्वारा अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा गया–

1– मौ0 गढीखटीकान में स्थित मन्दिर में भजन, कीर्तन आदि हेतु टीन शेड लगवाया जाये।

2–मौ0 गढी खटीकान में धर्मशाला में निर्माण कार्य, होल जीना, टायलेट आदि बनवाया जाये।

3–गोमतीनगर के गेट से दौराला पुलिया तक सी0सी0 नाला बनवाया जाये।

4–शहीद द्वार के पास भूमि की भूमि पर टीन शेड वाली अस्थाई फड़ आंवटित किये जाये।

5– वार्ड 3 तकिया कैंत दानिस अंसारी वाली गली में कुएं का सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

6–दौराला रोड शमशान घाट में चारदीवारी, पथप्रकाश व्यवस्था करायी जाये।

उक्त के अतिरिक्त सदन में अन्य उपस्थित सदस्यो द्वारा दिये गये प्रस्तावों को भी सदन के समक्ष रखा गया–

Shalini

Scanned with CamScanner

श्रीमति अंजलि, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

01 – वार्ड 01 मौहल्ला खेवान मे शौचालय के पास की पुलिया बिल्कुल टूटी हुई है, जिसके कारण पानी की निकासी ठीक से नही हो पाती है, जिसके कारण मौ0 जोगियान मे भी पानी भर जाता है, जिसके कारण मौहल्ले वालो को परेशानी का सामना करना पड़ता है आपसे अनुरोध है कि मौ0 खेवान की पुलिया बनवाने की कृपा करें।

02 – मौ0 खेवान मे नालियो के उपर चैनल लगवाने की कृपा करें।

श्री मुकेश, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

1 – वार्ड 04 में कुछ छोटी गलियो मे पोल न होने के कारण लाईट के नये पोईन्ट नही हैं तथा कुछ लाईट खराब खराब पडी है कृपया करके नई लाईटे लगवाई जाये तथा नए पोइन्ट बनाकर पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई जाये।

2 –वार्ड 04 मे अम्बेडकर धर्मशाला मे पुरानी कई वर्षो से चुनाव आने व कई हार्दिक कार्यकम होते है व चुनाव मे चुनाव कर्मचारी की डयूटी धर्मशाला मे लगाई जाती है तो कर्मचारी को शौचालय आदि की बहुत परेशानी होती है तथा न0पा0परि0 को भी अपने कर्मचारी व शौचालय की व्यवस्था करानी पडती है कृप्या करके इस परेशानी की व्यवस्था कराई जाये।

श्रीमति शगुफ्ता, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

1–वहाब के मकान से कैलाश के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

2–नंग्ला रोड नाईयों वाली गली में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

3–नंग्ला रोड युनुस घोसी वाली गली में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

4–हाजी फिक्का वाली गली में नंग्ला रोड पर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य जाये।

5–छावनी में रहमान के मकान से शेरबानी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

6–खूसी के मकान से सगीर के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

7–वसीम के मकान से कल्लू के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाये।

8–नंग्ला रोड पर शियाबाग की बस्ती में सोम डेयरी से सैनी के खेत तक का स्टीमेट बन चुका है आगामी टैण्डर में उस कार्य को जल्द स जल्द कराया जाये।

श्रीमति नेहा जैन उर्फ नेहा टाली, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

01– गॉधीनगर नगर वार्ड न0–9 में प्राचीन भूमिया माता जी का परिसर है, जो कि पूर्व से खुला है जिसनें सभी नगर वासियो तथा आस पास के क्षेत्र के लोगो की आस्था है जिसमें प्रत्येक स्पताह माता का भव्य कीर्तन होता है, खुला होने की वजय से परेशासी आती है आपसे निवेदन है

Archila

Scanned with CamScanner

कि भूमिया माता जी परिसर में बैठने की व्यवस्था तथा टीन शेड की व्यवस्था करायी जाये ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो।

श्री शकील अहमद, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

1–कोठी की सडके बनेंगी।
2–कोठी में बिजली के खम्बे लगेंगे।
3–कालंद चूंगी से लेकर जगदीश पनसारी तक सडक बनेगी।
4–श्री किशन वाली गली में बनेगी।
5–मोहल्ला बेलदारान में वैद्य जी वाली गली बनेगी।
6–सिराज केक वाली गली बनेगी।
7–ऐनोदीन शाह वाली गली बनेगी।
8–मनोज जैन वाली गली बनेगी।
9–प्रभात नगर वाला पीछे वाला रास्ता व गलिया बनेगी।
10–प्रभात नगर में नई लाईटे लगनी है।
11–मोहल्ला बेलदारान व कमरानवाबान में भी नई लाईटे लगनी है।
12–कमरानवाबान की गलिया बनेगी।

श्री आशीष त्यागी, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

1–वार्ड न0 23 मौ0 कहारान सरधना में एक कुऑ है जिसकी मैं बार–बार पैमाईश व इसटीमेट बनवा चुका हूँ मगर नगर पालिका द्वारा उस पर गौर नही दिया जा रहा है। उस कुँए को वार्ड वासी सभी लोग पूजते है। आप उस कुँए का सौन्दर्य करण कराने की कृपा करे।

श्री मोहम्मद इमरान, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–

1–सलीम के मकान से मस्जिद व कब्रिस्तान होते हुए जमील के मकान तक सी0सी0 सडक निमार्ण कार्य कराया जाये।
2–रियाजूदीन के मकान से सलीम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स कार्य कराया जाये।
3–कब्रिस्तान के सामने पडी खाली भूमि पर बारात घर का निर्माण कार्य कराया जाये।
4–कब्रिस्तान में लगा पोल हटवाकर पुनःछोटा पोल स्ट्रीट लाइटों सहित तत्काल प्रभाव में लगवाया जायें।

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि

Shakila

Scanned with CamScanner

	नगर मे यदि कहीं भी सडक मे कोई गड्ढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समरसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पेनल, आदि खराब होता है या किसी कीटनाशक दवा आदि की आवश्यकता होती है तो समरसेबिल रिबोर/हैण्डपम्पों/पालिका वाहनों की मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यो को चिन्हित करते हुए पालिका अवर अभियन्ता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये तथा पथप्रकाश हेतु उपलब्ध सामग्री अनुसार उपरोक्त दिये गये प्रस्ताव अनुसार स्थानों का चिन्हांकन करते हुए यथा आवश्यकता के कम में उपलब्ध एल0ई0डी0 लाईट लगा दी जाये यदि आवश्यकता पडती है, तो एल0ई0डी0 लाईट के साथ साथ अन्य विद्युत सामग्री पालिका में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कय कर ली जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

Shalika

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned with CamScanner